राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर
ई–मेल : transport.pd@rajasthan.gov.in

17 दिसम्बर, 2018 से आदिनांक तक अर्जित महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियां

परिवहन विभाग –

- पंजीकृत वाहनों को प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने एवं देय फीस/कर का ऑनलाईन भुगतान किये जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी। परिवहन श्रेणी के वाहनों का दिनांक 10.07.2019 के पश्चात की अवधि के लिए देय कर की गणना एवं ऑनलाईन भुगतान का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है।

- कर राजस्व संग्रहण को सुदृढ एवं सुग्राह्य बनाने हेतु परिवहन श्रेणी के नये वाहनों का देय एकबारीय कर को वाहन डीलर के स्तर पर ही वसूल किया जाना प्रावधानित किया गया है।

- **विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर देय कर का सरलीकरण** –भार वाहनों तथा यात्री बसों के लिये मूल्य आधारित मोटरवाहन कर प्रणाली वर्ष 1997 से प्रभावी थी। इस प्रणाली में कतिपय विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी। मोटरवाहन करों के सरलीकरण एवं इनके कम्प्यूटरीकरण करने के उद्देश्य से भार वाहनों के लिये GVW (Gross Vehicle Weight) आधारित तथा समस्त प्रकार की बसों के लिये बैठक क्षमता आधारित मोटर वाहन कर आरोपित किया गया है। इससे कर गणना की जटिलताएं समाप्त हो गई है।

- राज्य सरकार द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कर एमनेस्टी स्कीम, 2021 लाई गई, जिसके अंतर्गत 24,845 वाहनों से 108.24 करोड़ रूपये बकाया कर वसूला गया।

- 'फिजा–2018' स्कीम के अंतर्गत परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा 25 जिलों में 72 निजी फिटनेस सेन्टर्स को प्राधिकार पत्र जारी किये गये है। उक्त निजी फिटनेस सेन्टर के द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के परिवहन यानों को State of Art कम्प्यूटराइज्ड मशीनों/उपकरणों के माध्यम से उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है।

- राज्य में एम्बुलेंस परिवहन की दर निर्धारित कर दिनांक 26.04.2021 को आदेश जारी किया गया।

- एम्बुलेंस वाहनों पर Global Positioning System (GPS) स्थापित करने के आदेश दिनांक 03.06.2021 को जारी किये गये।

- **''राजस्थान सड़क सुरक्षा रोड मैप–2020''** तैयार किया गया जिसकी क्रियान्विति समस्त हितधारक विभागों (पुलिस, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, सडक संबंधी विभाग यथा NHAI,UDH,RSRDC,PWDआदि) द्वारा की जा रही है।

- **Integrated Road Accident Database (iRAD)**सॉफ्टवेयर राज्य में दिनांक 15.03.2021 से सभी जिलों में लागू हो चुका है जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।उक्त परियोजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की एक एप के माध्यम से ऑनलाईन रजिस्ट्री कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण, रियल टाईम पर्यवेक्षण किया जाकर सड़क दुर्घटनाओं व उनसे होने वाली मृत्यु पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नीति निर्माण व कार्ययोजना का निर्धारण किया जा सकेगा। उक्त ऐप में अब तक कुल 20,451 दुर्घटनाओं की प्रविष्टी की जा चुकी है।

- राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने तथा राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों को उचित दिशा व गति प्रदान करने के लिए **परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान एवं आई.आई.टी. मद्रास के बीच एमओयू** किया गया।

- सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्तियों की समय से अस्पताल पहुँचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रू. एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु ''**मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना**'' लागू की गयी है।

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में **मुख्यमंत्री हाईपावर कमेटी** का गठन दिनांक 12.03. 2020 को किया गया।

- राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए ''**मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार**'' के दिशा–निर्देश जारी किए गए।

- राज्य के ऑटो मोबाईल डीलर्स पॉइंट्स पर सडक सुरक्षा कॉर्नर विकसित किये जा रहे हैं।

- पुलिस विभाग को आधुनिक प्रवर्तन उपकरण, काउंसलिंग सेंटर इत्यादि हेतु विगत 3 वर्षों में राशि रु. 1201.31 लाख बजट उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रवर्तन उपकरणों, सड़क सुरक्षा प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण इत्यादि हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि रू 3156.05 लाख अनुमोदित की गई है।

- ट्रोमा सेंटर , सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि रु. 1428.66 लाख की लागत से गहन चिकित्सा इकाई, स्किल लैब एवं Basic Life Support (BLS) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई।

- राज्य के 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राईमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में क्रमोन्नत करने तथा नर्सेज के ट्रोमा संबंधी क्षमता निर्माण हेतु Manual (पुस्तक) इत्यादि के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से कुल 2485.00 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में 7 चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रोमा सेंटर की स्थापना/सुद्ढ़ीकरण हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि रू 3248.08 लाख अनुमोदित की गई है।

- राज्य के कुल 65883 विद्यालयों में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि 47.72 लाख की लागत से 131766 **"सड़क सरिता"** पुस्तकों का वितरण किया गया।

- परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को 30 ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स व अन्य कार्यों हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि 4306.59 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में सड़क सुरक्षा संबंधी बजट घोषणाओं यथा प्रवर्तन इकाईयों हेतु portable weighing machines, 33 ट्रैफिक पार्कों की स्थापना, 7 ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स की स्थापना तथा प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियों हेतु राशि रू 7201.66 लाख अनुमोदित की गई।

- सार्वजनिक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट दुरुस्तीकरण हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि रू 691.24 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 वलनरेब्ल स्पॉट्स के सुधार हेतु राशि रू 357.64 लाख अनुमोदित की गई है।

- राज्य में पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित कुल 3704 ब्लेक स्पॉट्स में से 1942 का दुरूस्तीकरण किया गया।

- 17 जिला परिवहन कार्यालयों यथा ब्यावर, किशनगढ़, चौमूं, नागौर, धौलपुर, बारां, चूरू, सुजानगढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा (भीलवाड़ा), हनुमानगढ़, रामगंजमण्डी एवं राजसमंद में ट्रेक्स के निर्माण हेतु राशि 25.14 (पच्चीस करोड़ चौदह लाख रू.) करोड़ रू. आवंटित किये। जिला परिवहन कार्यालय करौली, नागौर, सुजानगढ़, ब्यावर, चूरू, धौलपुर में निर्माण कार्य (सिविल कार्य) पूर्ण हो चुका है।

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, जोधपुर, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, बालोतरा, शाहपुरा–जयपुर एवं भिवाड़ी के नवनिर्मित भवनों का दिनांक 16. 11.2021 को ई–लोकार्पण किया गया।

- 'वाहन 4.0' में परमिट मॉड्यूल का कस्टमाईजेशन पूर्ण कर प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों को अस्थाई परमिट के अतिरिक्त समस्त परमिट 'वाहन 4.0' पर प्रारंभ किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये।

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के बिंदु संख्या 226 की अनुपालना में परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर "वाहन" तथा खान एवं भू–विज्ञान विभाग के सॉफ्टवेयर "ई–रवन्ना" को एकीकृत किया गया जिसके तहत् ओवरलोड वाहनों की सूचना विभाग को प्राप्त हो जाती है।

- Digilocker/mparivahan एप में प्रस्तुत किये गये चालक लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस, बीमा एवं परमिट डिजीटल आईडेन्टिटी के रूप में वैध है एवं मूल दस्तावेजों के समतुल्य है, के आदेश जारी किये।

- पंजीकृत वाहनों को प्रदान की जाने वाली निम्नांकित 17 सेवाओं के लिए आवेदक के स्तर से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने एवं ऑनलाईन भुगतान की सुविधा समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में प्रारंभ–

    i. Transfer of ownership
    ii. Change of Address
    iii. HPN Addition/ Continuation/ Termination
    iv. Duplicate RC
    v. Fitnes Renewal/Re-apply after Fitness being failed
    vi. Balance Fees Collection
    vii. Application for No Objection Certificate
    viii. Duplicate Fitness Certificate
    ix. Renewal of Registration
    x. Alteration of Vehicle
    xi. RC Particulars
    xii. RC Cancellation
    xiii. RC Surrender
    xiv. RC Release
    xv. Mobile Number Update
    xvi. Withdrawal of Application
    xvii. MV Tax Deposition

- दिनांक 15.06.2020 से वाहन स्वामियों एवं आमजन को बकाया कर की ऑनलाईन जानकारी आसानी से उपलब्ध कराये जाने हेतु 'वाहन 4.0' पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया गया है। इससे पोर्टल पर वाहनों की स्वतः ही कर गणना की जा रही है तथा वाहन स्वामी इस पोर्टल पर अपने बकाया कर का भुगतान ऑनलाईन कर सकते है। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाना संभव हो सका है।

- बजट घोषणा 2020–21 की अनुपालना में जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर उप परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया तथा बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में सुमेरपुर–पाली, पोकरण– जैसलमेर व सादुलशहर– श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा– चित्तौड़गढ़, जैतारण–पाली, कुचामनसिटी– नागौर, खाजूवाला–बीकानेर, कामां–भरतपुर व चाकसू–जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले गये है।

- मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों की भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भिजवा दी गई है।

- विभाग ने वाहनों के फेंसी नम्बर (अग्रिम विशिष्ट पंजीयन नम्बर) हेतु पारदर्शी नीलामी हेतु फेंसी नम्बर पोर्टल चालू किया गया है जिसमें वाहन स्वामी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर बोली लगाकर इच्छित नम्बर प्राप्त किया जा सकता है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम –

- प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। साथ ही, प्रदेश के युवा ब्राण्ड एम्बेसडर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- राई का बाग, जोधपुर बस स्टैण्ड में आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 06.06.2021 को भवन का शिलान्यास किया गया।
- 5 वर्षों से अधिक विलम्ब अवधि के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के 530 प्रकरणों पर शिथिलन दिया गया है जिसके क्रम में निगम द्वारा 146 आश्रितों को विभिन्न पदों पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जा चुकी हैं।
- राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
- सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक धारकों को निगम की सभी श्रेणी की बसों में दिनांक 20.05.2020 से यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
- दिव्यांगजन अधिनियम–2016, में वर्णित समस्त श्रेणियों के दिव्यांगजनों को निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में 875 नये वाहन क्रय किये जाकर निगम बेडे में शामिल किये गये।

विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग एवं क्रियान्वित किये गये नवाचार

परिवहन विभाग –

- राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु इलैक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को SGST राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान वर्ष 2021–22 में क्रय किये गये एवं दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत किये गये वाहनों पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है। SGST राशि का पुनर्भरण समस्त प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनों पर एवं एकमुश्त अनुदान राशि दोपहिया व तिपहिया इलैक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता के अनुसार देय है। एकमुश्त अनुदान दोपहिया वाहनों पर 5000 रू. से 10000 रू. तक एवं तिपहिया वाहनों पर 10000 रू. से 20000 रू. तक देय है।

- इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कोई कर देय नहीं है तथा किसी परमिट की भी आवश्यकता नहीं है।

- वर्ष 2020–21 में ग्रामीण मार्गों एवं अन्य मार्गों पर चलने वाली नई खरीदी गयी बसों को 3 वर्ष तक मोटर वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

- रीट व पटवारी परीक्षा में क्रमशः 26 लाख व 15.75 लाख अभ्यर्थियों को रोडवेज एवं निजी बसों से निःशुल्क यात्रा का बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित किया गया।

- बजट घोषणा संख्या 33.03 के अनुसार भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व अधिकृत ड्राईविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जांच एवं 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवाये जाने के संबंध में राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.18 में नया नियम 2.18ए जोडकर दिनांक 03.09.2021 को अधिसूचना जारी की गई।

- RKCLके ऑनलाईन पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को लॉग–इन से पहले सडक सुरक्षा प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे प्रतिवर्ष 7 लाख प्रशिक्षणार्थियों में जागरुकता बढेगी। साथ ही RKCL द्वारा जन–जागृति हेतु CSR के माध्यम से सड़क सुरक्षा वेबपोर्टल विकसित किया जा रहा है।

- राज्य में अंगदान हेतु आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ड्राईविंग लाईसेंस आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अंगदान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न को अनिवार्य कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अंगदान हेतु सहमति देने वाले आवेदकों का प्रतिशत 3 से बढ़कर 30 हो गया है। ड्राईविंग लाईसेंस आवेदकों से सहमति के पश्चात् लाईसेंस पर "**Organ Donor**"with heart sign अंकित किया जाता है। अब तक लगभग 2,96,476 व्यक्तियों द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

- वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप के अभाव में गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वर्ष 2021 में वर्ष पर्यन्त अभियान चलाया जा रहा है।

- विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस को फेसलेस कर दिया गया है अर्थात् आवेदक को इस कार्य हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन आवेदन कर ऑनलाइन टेस्ट देकर लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है।

- विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की निम्न सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है :–

    1. लाइसेंस नवीनीकरण
    2. पते में परिवर्तन
    3. लाइसेंस सरेण्डर
    4. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का आवेदन
    5. डुप्लिकेट लाइसेंस

- विभाग द्वारा राज्य की सभी एम्बुलेंसों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD) लगाने हेतु NIC के माध्यम से सॉफ्टवेयर लॉन्च करके 2500 से अधिक एम्बुलेंसों में VLTD लगाये जा चुके है।

- बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 256.00 की पालना में गुड्स परमिट को पूरे राज्य में ऑनलाइन किया जा चुका है। कर चुकता प्रमाण पत्र (TCC) हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किये जाकर पूरे राज्य में लागू किया जा चुका है।

- परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा के उड़नदस्तों द्वारा विभिन्न वाहनों एव वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर बनाये जानेवाले चालानों एवं प्रशमन राशि के संग्रहण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चालान व्यवस्था को ई–चालान में परिवर्तित किये जाने हेतु SBI के साथ 500 PoS Machines विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का MoU कर ई–चालान व्यवस्था का शुभारम्भ दिनांक 02.12.2020 को किया गया है। वर्तमान में 312 PoS Machines प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गयी है।

- परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही करते समय ओवरलोड वाहनों का मौके पर ही वजन करने के लिये बजट घोषणा सं. 282 (वर्ष 2021–22) की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उड़नदस्तें के लिए Portable Weighing Machines क्रय किये जाने हेतु विभाग द्वारा Lettter Of Intent जारी कर दिया गया है।

- 11 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों यथा– कोटा, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, चितौड़गढ़, पाली, बीकानेर एवं उदयपुर तथा 2 जिला परिवहन कार्यालयों यथा–झालावाड़ एवं डीडवाना कुल 13 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक का निर्माण कार्य (सिविल कार्य) पूर्ण कर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जगतपुरा–जयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, पाली, बीकानेर तथा 2 जिला परिवहन कार्यालयों यथा–झालावाड़ एवं डीडवाना में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर स्थापित कर ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक संचालित किये जा रहे है तथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय उदयपुर एवं चितौड़गढ़ में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- वाहनों के फिटनेस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु पायलेट बेसिस पर दौसा में मोबाइल एप लॉन्च किया गया है जिसमें जियो फेंसिंग तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन फिटनेस सेन्टर पर आकर ही फिटनेस करवाये।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम –

- निगम द्वारा अपने वाहनों के सुधार हेतु ABCD (अपनी बस केयर डे) प्रोग्राम की शुरुआत की जाकर इसके माध्यम से निगम की ईकाईयों द्वारा सप्ताह में दिवस वार वाहनों के बस बॉडी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, हैड लाईट आदि को सुधारने संबंधित कार्य किये गये। निगम द्वारा 1000 बसों के मैटनेंस की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

- निगम द्वारा रियायती यात्रा हेतु RFID Card बनवाने/रिचार्ज कराने की प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है, जिसकी सुविधा निगम द्वारा निगम वेबसाईट/ईमित्र के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

- निगम वाहन संचालन से संबंधित समस्त जानकारी IVRS (Interactive Voice Response System) के माध्यम से फोन पर प्राप्त करने की सुविधा हेतु फोन नम्बर '149' शुरू किया गया है।

- यात्रियों की सुविधा हेतु केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर पर 40 LED TV के माध्यम से निगम बसों के आगमन–प्रस्थान की सूचना दी जा रही है। भविष्य में यह योजना राजस्थान के 43 बस स्टैण्ड पर आरम्भ की जावेगी।

कोरोना प्रबंधन हेतु लिए गए निर्णय/नवाचार व अर्जित उपलब्धियों

परिवहन विभाग –

- कोविड–19 के दौरान ऑक्सीजन सिलेण्डर का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले भार वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से 31.03.2021 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की एडवाईजरी के पालनार्थ मुक्त किया गया है।

- कोविड–19 संक्रमण के कारण लगाये गये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवं उसके पश्चात् यात्री भार में कमी को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा स्टेज कैरिज/कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों को अप्रैल–2020 से जून–2020 के देय मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। साथ ही माह जुलाई–अगस्त–सितम्बर, 2020 में क्रमशः 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की गई है।

- इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में परमिट से वंचित यात्री वाहनों (स्पेयर वाहन) को देय मोटर वाहन कर में अप्रेल, मई, जून 2020 के लिये पूर्ण छूट तथा माह जुलाई, 2020 के लिये 75 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

- कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के चलते यात्री वाहनों को राहत प्रदान करते हुये माह मई–जून, 2021 में मोटर वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई।

- लॉकडाउन अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनो के संचालन पर लागू प्रतिबंध के कारण आमजन को होने वाली परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन हेतु ऑटो रिक्शा के संचालन का सुचारू प्रबंधन किया गया।

- सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के पालनार्थ राज्य में मोटर वाहनों से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार के) ड्राईविंग लाईसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्ताावेज की वैधता को 31.12.2020 तक कर दिया गया है।

- वाहन स्वामियों को पंजीयन के समय वाहनों को परिवहन कार्यालय में लाने की अनिवार्यता से मुक्त कर, वाहनों का भौतिक सत्यापन डीलर के व्यवसायिक स्थल पर करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

- कोविड अवधि में आमजन के लिए Passes की व्यवस्था के लिए ई–मेल, Whatsapp इत्यादि के माध्यमों से आवेदन सुविधा उपलब्ध करवायी गयी।

- लॉकडाउन अवधि में परिवहन विभाग द्वारा लगभग 2.35 लाख पैदल श्रमिकों को रेल्वे विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके गृह राज्यों में एवं राजस्थान के श्रमिकों को अन्य राज्यों से राज्य में गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया।

- राज्य में दिनांक 10.04.2021 को उपलब्ध लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकरों की संख्या 6 थी, जिसको विभिन्न स्त्रोतों से टैंकर अधिग्रहण कर 54 तक पहुंचाया गया।
- ऑक्सीजन सप्लाई केन्द्र भिवाडी, जामनगर, हजीरा, कलिंगनगर से टैंकरों को विभाग के उडनदस्तों द्वारा 24x7 प्रतिदिन एस्कॉर्ट कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया।
- लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन के लिए 50 हैजार्डस गुड्स व्हीकल ड्राइवर्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी।
- देश में टैंकर संभावित राज्यों गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडू, कर्नाटक व अन्य राज्यों तथा MoRTH, DPIT व PESO के सहयोग से टैंकर्स का उपापन (Procurement) किया गया।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम –

- कोविड–19 संक्रमण के दौरान लगभग 5 लाख यात्रियों को उनके गृह जिले तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- लॉकडाउन अवधि में निगम द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके गृह जिले तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- कोविड–19 के दौरान निगम द्वारा मोक्ष कलश योजना के माध्यम से अस्थि विसर्जन हेतु यात्रियों को अपने गृह जिले से हरिद्वार तक एवं वापसी की निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जो वर्तमान में भी जारी है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अन्तर्गत लाभान्वित वर्गवार यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं युवाओं आदि के लिए किये गये प्रयास तथा अर्जित उपलब्धियों का विवरण

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम –

- निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में क्रमशः 10.09 लाख, 9. 20 लाख एवं 7.17 लाख (कुल 26.47) लाख महिला यात्रियों को राजस्थान राज्य की सीमाओं तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- निगम द्वारा रक्षाबन्धन के त्यौंहार पर वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में क्रमशः 10.86 लाख, 2.85 लाख एवं 7.45 लाख (कुल 21.17) लाख महिला यात्रियों को राजस्थान राज्य की सीमाओं तक निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- निगम में कार्यरत महिला कार्मिकों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्यों हेतु वर्ष 2021 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया।
- निगम के सेवानियम 1965 से शासित महिला कार्मिकों को राज्य सरकार की भांति चाईल्ड केयर लीव का उपभोग किये जाने की सुविधा प्रदान की गई।
- निगम के मृतक कर्मचारियों के पुरूष आश्रितों हेतु कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा रही हैं। पूर्व में उक्त दोनों पदों पर केवल महिला आश्रित को ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जा रही थी।

विभाग की उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अवार्ड

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम –

- सितम्बर 2020 में आयोजित नेशनल पीएसयू समिट में निगम को कोरोना काल में पांच लाख लोगों को अपने गृह स्थान तक पहुंचाने के लिए किये गये कार्य हेतु अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया।